"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 जुलाई 2010—आषाढ़ 11, शक 1932

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-03/20-दो/2008.—छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्र. 23 सन् 1965) की धारा 28 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन (स्कूल शिक्षा विभाग), एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2010 कहलायेंगे.

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्र. 23 सन् 1965);

   (ख) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी;

   (ग) "मण्डल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्र. 23 सन् 1965) के अधीन गठित माध्यमिक शिक्षा मण्डल;

(घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 5 के अधीन नियुक्त किया गया मण्डल का अध्यक्ष (अधिनियम में विनिर्दिष्ट शब्द "सभापति" से अभिप्रेत है, "अध्यक्ष");

(ङ) "उपाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 16 के अधीन नियुक्त किया गया मण्डल का उपाध्यक्ष (अधिनियम में विनिर्दिष्ट शब्द "उप-सभापति" से अभिप्रेत है, "उपाध्यक्ष");

(च) "सचिव" से अभिप्रेत है, माध्यमिक शिक्षा मण्डल का सचिव;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल सेवा;

(झ) "समिति" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन भर्ती या पदोन्नति के लिए अनुसूची तीन तथा चार में उल्लिखित समिति;

(ञ) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

(ट) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल नियम, 1965;

(ठ) "कार्यपालिक समिति" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 19 के अधीन गठित कार्यपालिक समिति;

(ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(ढ) "पद" से अभिप्रेत है, मण्डल के अधीन पूर्णकालिक कार्य नियोजन किन्तु इसमें ऐसा कोई कार्य नियोजन सम्मिलित नहीं है जहां कर्मचारी को आकस्मिकता निधि से भुगतान होता है;

(ण) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति समूह के भाग जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट की गई हो;

(त) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा जनजाति समूह या उसका भाग या जनजाति समुदाय जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट की गई हो;

(थ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अधिसूचना क्र. एफ-8-5/25-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग;

(द) "प्रतियोगी परीक्षा एवं चयन प्रक्रिया" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन भर्ती के लिये संचालित प्रतियोगिता परीक्षा एवं चयन प्रक्रिया.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्र. 23 सन् 1965) एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम, 1965 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मौलिक या स्थानापन्न या प्रतिनियुक्ति की हैसियत से धारण कर रहे हों,

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों,

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती या पदोन्नत किये गये हों.

5. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी.

परंतु मण्डल, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, स्थायी या अस्थायी तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) प्रतिनियुक्ति अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति द्वारा.

(ख) सीधी भर्ती द्वारा या प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा.

(ग) सेवा के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है.

(घ) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो मण्डल की सेवाओं में ऐसे पदों को मूल/स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये.

(2) उप-नियम (1) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जायेगी.

(4) उप-नियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन/नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करनां अपेक्षित हो, तो शासन/नियुक्ति प्राधिकारी, कार्यपालिक समिति के अनुमोदन से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपनां सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे.

(5) राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारियों का संविलयन किया जायेगा तथा ऐसा संविलयन शासन द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों के अनुसार होगा.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्तें.**— परीक्षा में प्रतियोगिता/चयन के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

1. **आयु.**—

(क) परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूर्ण न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन/मण्डल के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो मण्डल/शासन का स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह सुविधा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा.

बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "छटनी किये गये मण्डल के कर्मचारी" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो मण्डल या इस राज्य की या मण्डल के किन्हीं भी संघटक ईकाइयों की अस्थायी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा मण्डल की सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मण्डल की स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(चार) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें;

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नियोजन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक,

(4) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं;

(5) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(घ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी.

(ङ) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष होगी.

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में, उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमिशन्ड अधिकारियों के लिए उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 8 आठ वर्ष तक की छूट दी जाएगी, किन्तु सभी दशाओं में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(ञ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

टीप.— उपरोक्त नियम 8 (1) (ग) (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी कर दी जाती हो तो वे पात्र बने रहेंगे. किसी भी अन्य मामले में आयु सीमायें शिथिल नहीं की जायेगी. विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा या चयन में उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी.

(2) **शैक्षणिक अर्हतायें.—** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिए जैसा कि अनुसूची-तीन में दर्शाई गई है.

(3) **फीस.—** अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.—** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.—** चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.—**

(1) सीधी भर्ती हेतु चयन के लिए एक समिति गठित की जायेगी जिसमें ऐसे सदस्यों की सदस्यता ऐसी होगी जैसा कि अनुसूची-तीन में उल्लिखित है.

(2) मण्डल स्तर में एक वर्ष के दौरान उद्भूत रिक्तियों के संबंध में विभिन्न संवर्गों के लिये आरक्षण का प्रतिशत तथा अग्रगणित (कैरी फॉरवर्ड) हेतु प्रावधान-शासन के नियमों के अनुसार होगा.

(3) जब सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने के लिए एक विशेष कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो तथा नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य

पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में आवश्यक अनुभव के साथ उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी, कार्यपालिक समिति के अनुमोदन के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव संबंधी शर्त को शिथिल कर सकेगा.

(4) ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, के लिए सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्तियों के पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार तथा ऐसे आदेशों के अनुसार आरक्षित रहेगा जैसा कि शासन समय-समय पर जारी करे.

(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनकी सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(6) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, समिति द्वारा चयनित किया गया हो, उप-नियम (4) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(7) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे.

(8) विकलांग अभ्यर्थियों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार पद आरक्षित रखे जायेंगे.

12. **सीधी भर्ती के लिये समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.—**

(1) समिति उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अन्य अभ्यर्थियों की एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम, 1965 तथा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम, 1965 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों के चयन के लिये उसी सूची क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों.

(3) चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—**

(1) पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य होंगे किन्तु यदि नामांकित सदस्यों में से कोई भी अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को छोड़कर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि न हो तो इस संवर्गों से संबंधित समकक्ष श्रेणी के एक अधिकारी को पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जायेगा तथा पदोन्नति समिति की सदस्यता उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी.

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी जो साधारणतया एक वर्ष से अधिक की न हो.

(3) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार रहेगी.

(4) आरक्षण तथा विचारण का क्षेत्र छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार होगा.

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.—**

(1) उप-नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप से या मूल रूप से) जैसा कि अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो.

(2) अनुसूची-चार के कॉलम (3) में दर्शाये गये पदों के लिये, कॉलम (4) में विहित कोई भी शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो उस दशा में ऐसे रिक्त पदों को कार्यपालिक समिति के अनुमोदन के पश्चात् सीधी भर्ती/चयन द्वारा भरा जायेगा.

15. **पदोन्नति हेतु उपयुक्त कर्मचारियों की सूची.—**

(1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो. यह सूची चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने हेतु पर्याप्त होगी.

विभिन्न संवर्गों की पदोन्नति के लिये एक समेकित सूची, मेरिट क्रम में तैयार की जायेगी तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों से संबंधित सूची, मेरिट क्रम में पृथक से तैयार की जायेगी.

(2) इस प्रकार तैयार की गई पदोन्नति सूची, एक वर्ष के लिये प्रवृत्त रहेगी.

(3) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, मण्डल की सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो तो समिति प्रस्तावित अवक्रमण के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी.

(4) इस प्रकार तैयार की गई पदोन्नति सूची, प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जायेगी.

स्पष्टीकरण :— ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उनके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उनके ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

16. **चयन सूची पर नियुक्ति प्राधिकारी का अनुमोदन.—** नियम 15 के अनुसार इस प्रकार तैयार की गई चयन सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी :—

(1) चयन/पदोन्नति सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख.

(2) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित मण्डल की सेवा के ऐसे सदस्यों के अभिलेख जिनका समिति के सिफारिशों के अनुसार अवक्रमण किया जाना हो.

(3) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रस्तावित अवक्रमण के लिए समिति द्वारा अभिलिखित कारण.

17. **चयन सूची.—**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति द्वारा तैयार किये गये अभिलेख तथा अंतिम सूची पर विचार करेगा तथा यदि नियुक्ति प्राधिकारी कोई भी परिवर्तन करना आवश्यक न समझे तो सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के प्रयोजन के लिये चयन सूची होगी.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—** चयन सूची में सम्मिलित सेवा के सदस्यों की सेवा-संवर्ग के पदों पर नियुक्ति के लिए उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे सदस्यों के नाम चयन सूची में आये हों.

19. **परिवीक्षा.—** सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा तथा स्थायी पदों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए स्थानापन्न हैसियत में अन्यथा समस्त नियुक्ति, अस्थायी या स्थानापन्न (प्रतिस्थापन) पदों पर की जायेगी.

20. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो तो उसे अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा.

21. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की अध्यक्ष की शक्ति को जो उसे उचित एवं साम्यपूर्ण प्रतीत हो, सीमित या कम करती है.

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

21. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में की गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

22. **निरसन.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्‌द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. रात्रे, संयुक्त सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (विद्यमान 6वां वेतनमान)	नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक सचिव/संभागीय अधिकारी.	8	द्वितीय श्रेणी	8000-13500 15600-39100 ग्रेड पे-5400	अध्यक्ष	
2.	लेखाधिकारी	2	द्वितीय श्रेणी	8000-13500 15600-39100 ग्रेड पे-5400	अध्यक्ष	
3.	ग्रंथपाल-1	1	तृतीय श्रेणी	4500-7000 5200-20200 ग्रेड पे-2800	सचिव	
4.	अनुभाग अधिकारी	20	द्वितीय श्रेणी	6500-10500 9300-34800 ग्रेड पे-4400	—तदैव—	
5.	मुख्य लेखापाल	3	द्वितीय श्रेणी	6500-10500 9300-34800 ग्रेड पे-4400	—तदैव—	
6.	विधि अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	6500-10500 9300-34800 ग्रेड पे-4400	—तदैव—	
7.	प्रोग्रामर	1	द्वितीय श्रेणी	6500-10500 9300-34800 ग्रेड पे-4400	—तदैव—	
8.	इनपुट आऊटपुट इंचार्ज	2	द्वितीय श्रेणी	6500-10500 9300-34800 ग्रेड पे-4400	—तदैव—	
9.	इनपुट आऊटपुट असिस्टेंट	3	द्वितीय श्रेणी	6500-10500 9300-34800 ग्रेड पे-4200	—तदैव—	
10.	डाटा एंट्री आपरेटर	5	तृतीय श्रेणी	4000-6000 5200-20200 ग्रेड पे-2400	—तदैव—	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	सहायक ग्रेड-1	30	तृतीय श्रेणी	5500-9000 9300-34800 ग्रेड पे-4300	सचिव	
12.	सहायक ग्रेड-2	50	तृतीय श्रेणी	4000-6000 5200-20200 ग्रेड पे-2400	—तदैव—	
13.	सहायक ग्रेड-3	90	तृतीय श्रेणी	3050-4590 5200-20200 ग्रेड पे-1900	—तदैव—	
14.	वरिष्ठ अंकेक्षक	4	तृतीय श्रेणी	5500-9000 9300-34800 ग्रेड पे-4300	—तदैव—	
15.	कनिष्ठ अंकेक्षक	5	तृतीय श्रेणी	4500-7000 5200-20200 ग्रेड पे-2800	—तदैव—	
16.	विधि सहायक	1	तृतीय श्रेणी	5500-9000 9300-34800 ग्रेड पे-4300	—तदैव—	
17.	शीघ्रलेखक	5	तृतीय श्रेणी	4500-7000 5200-20200 ग्रेड पे-2800	—तदैव—	
18.	वाहन चालक	9	तृतीय श्रेणी	3050-4590 5200-20200 ग्रेड पे-1900	—तदैव—	
19.	फ्लोर सुपरवाईजर	1	चतुर्थ श्रेणी	3050-4590 5200-20200 ग्रेड पे-1900	—तदैव—	
20.	दफ्तरी	3	चतुर्थ श्रेणी	2610-3540 4750-7440 ग्रेड पे-1400	—तदैव—	
21.	भृत्य	64	चतुर्थ श्रेणी	2550-3200 4750-7440 ग्रेड पे-1300	—तदैव—	
22.	चौकीदार		चतुर्थ श्रेणी	2550-3200 4750-7440 ग्रेड पे-1300	—तदैव—	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	उप यंत्री (सिविल)	1	तृतीय श्रेणी	5500-9000 9300-34800 ग्रेड पे-4300	सचिव	
24.	इलेक्ट्रीशियन	1	तृतीय श्रेणी	3050-4590 5200-20200 ग्रेड पे-1900	—तदैव—	
25.	कारपेंटर	1	तृतीय श्रेणी	3050-4590 5200-20200 ग्रेड पे-1900	—तदैव—	
26.	पंप मैन	1	तृतीय श्रेणी	2550-3200 4750-7440 ग्रेड पे-1300	—तदैव—	

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ग्रंथपाल	1	तृतीय श्रेणी		100%		
2.	अनुभाग अधिकारी	20	द्वितीय श्रेणी		100%		
3.	मुख्य लेखापाल	3	द्वितीय श्रेणी		100%		
4.	विधि अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	100%	100%		
5.	प्रोग्रामर	1	द्वितीय श्रेणी	100%			
6.	इनपुट आऊटपुट इंचार्ज	2	द्वितीय श्रेणी		100%		
7.	इनपुट आऊटपुट असिस्टेंट	3	द्वितीय श्रेणी		100%		
8.	डाटा एंट्री आपरेटर	5	तृतीय श्रेणी	100%			
9.	सहायक ग्रेड–1	30	तृतीय श्रेणी		100%		
10.	सहायक ग्रेड–2	50	तृतीय श्रेणी		100%		
11.	सहायक ग्रेड–3	90	तृतीय श्रेणी	75%	25%		
12.	वरिष्ठ अंकेक्षक	4	तृतीय श्रेणी		100%		
13.	कनिष्ठ अंकेक्षक	5	तृतीय श्रेणी		100%		
14.	विधि सहायक	1	तृतीय श्रेणी	100%			
15.	शीघ्रलेखक	5	तृतीय श्रेणी	50%	50%		
16.	वाहन चालक	9	तृतीय श्रेणी	100%			
17.	फ्लोर सुपरवाईजर	1	चतुर्थ श्रेणी		100%		
18.	[illegible]री	3	चतुर्थ श्रेणी		100%		
19.	भृत्य	64	चतुर्थ श्रेणी	100%			
20.	चौकीदार	4	चतुर्थ श्रेणी	100%			
21.	उप यंत्री (सिविल)	1	तृतीय श्रेणी	100%			
22.	इलेक्ट्रीशियन	1	तृतीय श्रेणी	100%			
23.	कारपेंटर	1	तृतीय श्रेणी	100%			
24.	पंप मैन	1	तृतीय श्रेणी	100%			

अनुसूची-तीन

स. क्र.	पद का नाम	श्रेणी	आयु सीमा न्यूनतम/ अधिकतम	शैक्षणिक अर्हताएं	चयन समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	18-35	1. साइंस/भौतिक शास्त्र/कम्प्यूटर साइंस/ऑपरेशन रिसर्च/सांख्यिकीय अथवा गणित (सांख्यिकीय सहित) अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष परीक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा बी.ई. इलेक्ट्रानिक्स में डिग्री. 2. कम से कम तीन वर्ष कोबाल में प्रोग्राम लेखन का अनुभव एवं किसी थर्ड जनरेशन पर कार्य करने का अनुभव. 3. मान्यता प्राप्त संस्था अथवा शासकीय संस्था से कोबाल फोर्टरन-फोर/प्रोग्रामिंग भाषा में डिप्लोमा. 4. किसी मण्डल अथवा विश्वविद्यालय में परीक्षा व परीक्षाफल कार्य का पांच वर्ष का अनुभव.	सचिव द्वारा गठित चयन समिति
2.	विधि अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	18-35	1. 55% के साथ एल.एल.बी. परीक्षा उत्तीर्ण. 2. अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय में 7 वर्षों का अनुभव. 3. विधि व्यवसाय हेतु अंग्रेजी में प्रावीण्यता.	—तदैव—
3.	डाटा एंट्री आपरेटर	तृतीय श्रेणी	18-35	1. स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. अंग्रेजी पढ़ने एवं लिखने का ज्ञान. 3. अंग्रेजी टायपिंग का ज्ञान एवं टायपिंग कार्य करने की कार्य क्षमता. 4. 1. मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में एक वर्ष का डिप्लोमा. 2. कम्प्यूटर पर डाटा एण्ट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग का दो वर्ष का कार्य अनुभव तथा 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति.	—तदैव—
4.	ग्रंथपाल	तृतीय श्रेणी	18-35	1. लाईब्रेरी साईंस में डिग्री पाठ्यक्रम प्रमाण-पत्र. 2. 5 वर्ष का कार्य अनुभव.	—तदैव—
5.	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी	18-35	1. मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण या स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण या भर्ती विनियम के अनुसार निर्धारित योग्यता. 2. मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था द्वारा संचालित हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण.	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3. कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री का 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति.	
6.	विधि सहायक	तृतीय श्रेणी	18-35	1. एल.एल.बी. में स्नातक उपाधि 2. विधि का कार्य में 05 वर्ष का कार्य अनुभव.	सचिव द्वारा गठित चयन समिति
7.	शीघ्रलेखक	तृतीय श्रेणी	18-35	1. मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण या स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण या भर्ती विनियम के अनुसार निर्धारित योग्यता. 2. मान्यता प्राप्त मण्डल से हिन्दी मुद्रलेखन (25 शब्द प्रति मिनट की गति से) साथ ही 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन उत्तीर्ण. 3. कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री का 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति. 4. 5 वर्ष का कार्यानुभव.	—तदैव—
8.	वाहन चालक	चतुर्थ श्रेणी	18-35	1. 8वीं कक्षा उत्तीर्ण. 2. लाइट/हैवी ड्रायविंग लायसेंस. 3. 5 वर्ष का अनुभव.	—तदैव—
9.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	18-35	1. 8वीं कक्षा उत्तीर्ण.	—तदैव—
10.	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	18-35	1. 8वीं कक्षा उत्तीर्ण.	—तदैव—
11.	उप यंत्री (सिविल)	तृतीय श्रेणी	18-35	1. सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री. 2. भवन निर्माण कार्यों में 5 वर्ष का अनुभव.	—तदैव—
12.	इलेक्ट्रीशियन	तृतीय श्रेणी	18-35	1. हायर सेकेण्डरी 10+2 या मण्डल से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आई.टी.आई. का प्रमाण-पत्र. 3. 5 वर्ष का अनुभव.	—तदैव—
13.	कारपेंटर	तृतीय श्रेणी	18-35	1. 8वीं कक्षा उत्तीर्ण. 2. कारपेंटर ट्रेड में आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र. 3. कारपेंटर ट्रेड में 3 वर्ष का अनुभव.	—तदैव—
14.	पंप मैन	तृतीय श्रेणी	18-35	1. मान्यता प्राप्त मण्डल से हाईस्कूल प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण. 2. संबंधित कार्य में 5 वर्ष का अनुभव. 3. आई.टी.आई. का प्रमाण-पत्र.	—तदैव—

अनुसूची-चार
(नियम 13 देखिये)

स. क्र.	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की की जानी है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हताएं	कालम नं. 3 में दर्शाये गये पद पर सेवा के वर्षों की संख्या	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक सचिव/ संभागीय अधिकारी	पंजीयक	1. सक्षमता तथा वरिष्ठता 2. स्नातक डिग्री	5 वर्ष	अध्यक्ष द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति
2.	अनुभाग अधिकारी	सहायक सचिव/ संभागीय अधिकारी	1. सक्षमता तथा वरिष्ठता 2. स्नातक डिग्री	5 वर्ष	—तदैव—
3.	लेखाधिकारी	वित्त अधिकारी	1. सक्षमता तथा वरिष्ठता 2. वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री 3. एस.ए.एस. को प्राथमिकता	5 वर्ष	—तदैव—
4.	मुख्य लेखापाल	लेखाधिकारी	1. सक्षमता तथा वरिष्ठता 2. वाणिज्य में स्नातक डिग्री 3. लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण	5 वर्ष	—तदैव—
5.	सहायक ग्रेड-1	अनुभाग अधिकारी	1. वरिष्ठता तथा सक्षमता	5 वर्ष	सचिव द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति
6.	सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-1	1. वरिष्ठता तथा सक्षमता	5 वर्ष	—तदैव—
7.	सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2	1. वरिष्ठता तथा सक्षमता	5 वर्ष	—तदैव—
8.	सहायक ग्रेड-3	लेखापाल	1. सक्षमता तथा वरिष्ठता 2. बी. काम. 3. लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण	5 वर्ष	—तदैव—
9.	सहायक ग्रेड-3	शीघ्रलेखक	1. वरिष्ठता एवं सक्षमता	5 वर्ष	—तदैव—
10.	वरिष्ठ अंकेक्षक	मुख्य लेखापाल	1. वरिष्ठता तथा सक्षमता 2. लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण	5 वर्ष	—तदैव—
11.	कनिष्ठ अंकेक्षक	वरिष्ठ अंकेक्षक	1. वरिष्ठता तथा सक्षमता 2. लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण	5 वर्ष	—तदैव—
12.	लेखापाल	कनिष्ठ अंकेक्षक	1. वरिष्ठता तथा सक्षमता 2. लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण	5 वर्ष	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	विधि सहायक	विधि अधिकारी	1. वरिष्ठता तथा सक्षमता 2. विधि व्यवसाय हेतु अंग्रेजी में प्रावीण्यता.	5 वर्ष	सचिव द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति
14.	इनपुट आऊटपुट असिस्टेंट	इनपुट आऊटपुट इंचार्ज	1. सक्षमता एवं वरिष्ठता 2. मान्यता प्राप्त संस्था से कोबॉल/फोर्टरन प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण. 3. भौतिक/अर्थशास्त्र/सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर डिग्री.	5 वर्ष	—तदैव—
15.	डाटा एंट्री आपरेटर	इनपुट आऊटपुट असिस्टेंट	1. वरिष्ठता तथा सक्षमता	5 वर्ष	—तदैव—
16.	दफ्तरी	फ्लोर सुपरवाइजर	1. वरिष्ठता तथा सक्षमता	5 वर्ष	—तदैव—
17.	भृत्य/चौकीदार	दफ्तरी	1. वरिष्ठता तथा सक्षमता	5 वर्ष	—तदैव—
18.	अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी.	सहायक ग्रेड-3	1. वरिष्ठता तथा सक्षमता 2. हायर सेकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण.	5 वर्ष	—तदैव—

Raipur, the 2nd July 2010

NOTIFICATION

No. F 13-03/20-II/2008.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (K) of sub-section (2) of Section 28 of Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Adhiniyam , 1965 (No. 23 of 1965), the State Government (School Education Department), hereby makes the following rules relating to the recruitment and promotion of the employees of the Chhattisgarh Board of Secondary Education, namely :—

RULES

1. **Short Title and Commencement.—**

(1) These Rules may be called the Chhattisgarh Board of Secondary Education Recruitment and Promotion rules, 2010.

(2) They shall come into force from the date of their publication in Official Gazette.

2. **Definitions.—** In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965 (No. 23 of 1965);

(b) "Appointing Authority" in respect of the service means Appointing Authority mentioned in Schedule-I;

(c) "Board" means Board of Secondary Education constituted under Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965 (No. 23 of 1965);

(d) "Chairman" means the Chairman of the Board appointed under Section 5 of the Act (the word "Sabhapati" specified in the Act means "Chairman");

(e) "Vice Chairman" means the Vice Chairman of the Board appointed under Section 16 of the Act (The word "Up-Sabhapati" specified in the Act means "Vice Chairman");

(f) "Secretary" means the Secretary of the Board of Secondary Education, Chhattisgarh;

(g) "Schedule" means Schedule appended to these rules;

(h) "Service" means the Chhattisgarh Board of Secondary Education Service;

(i) "Committee" means the Committee mentioned in Schedule-III and IV for recruitment or promotion under these rules;

(j) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(k) "Rules" means the Chhattisgarh Board of Secondary Education rules, 1965;

(l) "Executive Committee" means the executive committee constituted under Section 19 of the Act;

(m) "State" means the "Chhattisgarh State";

(n) "Post" means the whole time employment under the Board but does not include any employment where the employee is paid from contingency;

(o) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of group within caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the state of Chhattisgarh under Article 341 of the Constitution of India;

(p) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Chhattisgarh under Article 342 of the Constitution of India;

(q) "Other Backward Classes" means the other backward classes of citizens as specified by the State Government vide Notification number F-85/25-484, dated 26 December, 1984 as specified from time to time.

(r) "Competitive Examination and Selection Procedure' means the competitive examination and selection procedure conducted for recruitment under rule 11.

3. **Scope and Application.**—Without prejudice to the generality of the provision contained in the Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965 (No. 23 of 1965) and Chhattisgarh Board of Secondary Education Regulations, 1965, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service.**—The Service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons who at the time of commencement of these rules are holding substantively or officiating or on deputation capacity the posts specified in the Schedule-I.

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules.

(3) Persons recruited or promoted to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**— The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Schedule-I.

Provided that the Board may from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**—

(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules shall be made by the following methods, namely:—

(a) By deputation or reappointment of retired officers/employees.

(b) By direct recruitment or by selections through competitive examinations.

(c) By promotions of the employees of service as specified in column (3) of Schedule-IV.

(d) By transfer of persons who hold in substantive/officiating or temporary capacity such posts in board services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (C) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts specified in Schedule I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be require to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the appointing authority with consultation of the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government/appointing authority, the exigencies of the service so require, the Government/appointing authority, may, with the approval of the Executive Committee adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf.

(5) The employees of State Corporation/Board shall be adopted and such adoption shall be made in accordance with rules regulations framed by the State Government.

7. **Appointment to the Service.**— All appointments to the service, after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule-6.

8. **Conditions of eligibility of candidates for direct recruitment.**— In order to be eligible to compete at the examination/selection a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(iv) A candidate, who is an Ex-serviceman, shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The terms "Ex-servicemen" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result or recommendations of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration on any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service.

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions.

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharge on:-
(a) Completion of short terms engagement.
(b) Fulfilling the conditions of employment.

(3) Ex personnel of Madras Civil Unit.

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service regular commissioned officers.

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(6) Ex-servicemen invalidated out of service .

(7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-servicemen, who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(d) The upper age limit shall be relaxable up to 3 years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporation/Boards.

(e) The general upper age limit shall be 35 years in respect of widows, destitute and divorecd women candidates.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto two years in respect of those candidates who are Green-Card-Holders under the family welfare programme.

(g) The general upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste Marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Welfare Department.

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of the sportmen receiving Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur honor, Maharaja Pravir Chand Bhanjdeo Award and Youth receiving National Youth Award.

(i) The general upper age limit shall be relaxable up to 8 years to the Swayam Sevi Nagar Sainik and Non Commissioned Officers of Nagar Sena, for the services rendered by them. But, in all conditions their age should not exceed to 38 years.

(j) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 10 (ten) years to a woman candidate in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for the Appointment of Woman) Rule, 1997.

Note – Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rules 8 (1) (c) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the applications, they resign from service either before or after taking the examination, they shall, however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case, shall these age limits be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority for appearing in the examination or selection.

(2) **Educational Qualifications.—** The candidates must posses the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(3) **Fees.—** The candidate shall pay the fees prescribed by the appointing authority.

9. **Disqualification.—** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appopinting Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of a candidate shall be final.—** The decision of the appointing authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final.

11. **Direct Recruitment by competitive examination/selection.—**

(1) A Committee shall be constituted for selection to direct recruitment, the membership of such committee shall be such as is mentioned in Schedule-III.

(2) In relation to the vacancies arising during a year at the Board's level the percentage of reservation for various categories and the provision for carry forward shall be as per Government rules.

(3) When the experience of a particular period has been prescribed as a necessary condition for filling the post by direct recruitment and it is found in the opinion of appointing authority that there is no possibility of being available in sufficient number the candidates of scheduled castes and scheduled tribes and other backward classes having required experience, the appointing authority may, after the approval of the "Executive committee" relax the condition regarding experience in relation to the candidates of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes.

(4) The posts of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for the candidates who are the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and such orders as the Government from time to time issue.

(5) In filling the vacancies so reserved for candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred in the Rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(6) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes selected by the committee with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be, under sub-rule (4).

(7) 30 percent of posts shall be reserved for the women candidates, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(8) The posts shall be reserved for handicapped candidates as per the instructions of the Gen Administration Department.

12. **List of candidates recommended by the committee for direct recruitment.—**

(1) The committee shall forward to the appointing authority a list arranged in order of merit of the candidates and other candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women and Other Backward Classes who have qualified by such standards as the appointing authority may determine.

(2) Subject to the provision of these rules and Chhattisgarh Madhyamik Shiksha Mandal Adhiniyam, 1965 and Chhattisgarh Board of Secondary Education Regulation 1965 candidates shall be considered for selection to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the select list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied, after such inquiry as he may deem necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. **Appointment by Promotion.—**

(1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion but if any of the nominated members, excluding the officer presiding does not represent the Scheduled Castes, Scheduled Tribes an officers of equal rank belonging to these categories will be included in promotion committee and the membership of the promotion committee shall be extended to that limit.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Procedure for making promotions in the reserved vacancies shall be in accordance with the instruction issued by Government of Chhattisgarh in the General Administration Department from time to time.

(4) Reservation and Zone of consideration will be in accordance with Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rules, 2003.

14. **Conditions of eligibility for Promotion.—**

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the committee shall consider the case of all persons who on the 1st day of January of that year had completed such number of year of service (whether officiating or substantive) in the posts from which promotion is to be made as specified in Schedule-IV.

(2) For the post shown in column (3) of Schedule-IV, in case a candidate possessing any of the qualifications prescribed in column (4) is not available such vacant posts shall be filled in by direct recruitment/selection after the approval of Executive Committee.

15. **List of suitable employees for promotion.—**

(1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account or retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

For promotion, a consolidated list of various categories shall be prepared in order of merit and the list relating to the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women and Other Backward Classes shall be prepared separately in order of merit.

(2) The promotion list so prepared shall be in force for a year.

(3) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any members of the Board Service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

(4) The promotion list so prepared shall be ordinarily reviewed and revised every year.

Explanation :— A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. **Approval of the Appointing Authority on the select list.—**

(1) The selection list so prepared as per rule 15, shall be submitted to the appointing authority with the following documents :—

(a) The records of all persons included in the selection/promotion list.

(b) The record of such members of the Board service who are to be superseded as per recommendation of the committee mentioned in the column (2) of Schedule-IV.

(c) The reasons recorded by the committee for the proposed supersession mention in column (2) of Schedule-IV.

17. **Selection list.—**

(1) The appointing authority shall consider the record and the list finally prepared by the committee and unless the appointing authority considers any change necessary approve the list.

(2) The list finally approved by the appointing authority shall from the select list for the purpose of promotion of the members of the service as specified in Schedule-IV.

18. **Appointment to the service from the select list.—** Appointment of the members of the service included in the select list to the post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such member appear in the select list.

19. **Probation.—** Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years and in officiating capacity. Subject to availability of permanent post otherwise all appointment shall be on temporary or substituted posts.

20. **Interpretation.—** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Chairman whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation.—** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Chairman to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than provided in these rules.

22. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

23. **Repeal.—** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. L. RATRE, Joint Secretary.

SCHEDULE-I
(See Rule-5)

S. No. (1)	Name of the post included in the service (2)	No. of posts (3)	Classi-fication (4)	Scale of Pay (Existing 6th Pay) (5)	Appointing Authority (6)	Remarks (7)
1.	Assistant Secretary/ Divisional Officer	8	Class-2	8000-13500 15600-39100 Grade Pay-5400	Chairman	
2.	Account Officer	2	Class-2	8000-13500 15600-39100 Grade Pay-5400	Chairman	
3.	Librarian-1	1	Class-3	4500-7000 5200-20200 Grade Pay-2800	Secretary	
4.	Section Officer	20	Class-2	6500-10500 9300-34800 Grade Pay-4400	--do--	
5.	Head Accountant	3	Class-2	6500-10500 9300-34800 Grade Pay-4400	--do--	
6.	Law Officer	1	Class-2	6500-10500 9300-34800 Grade Pay-4400	--do--	
7.	Programmer	1	Class-2	6500-10500 9300-34800 Grade pay-4400	--do--	
8.	I.O.I.	3	Class-2	6500-10500 9300-34800 Grade Pay-4400	--do--	
9.	Assistant I. O.	2	Class-2	6500-10500 9300-34800 Grade Pay-4200	--do--	
10.	Data Entry Operator	5	Class-3	4000-6000 5200-20200 Grade Pay-2400	--do--	
11.	Assistant Grade-1	30	Class-3	5500-9000 9300-34800 Grade Pay-4300	--do--	
12.	Assistant Grade-2	50	Class-3	4000-6000 5200-20200 Grade Pay-2400	--do--	
13.	Assistant Grade-3	90	Class-3	3050-4590 5200-20200 Grade Pay-1900	--do--	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	Senior Auditor	4	Class-3	5500-9000 9300-34800 Grade Pay-4300	Secretary	
15.	Junior Auditor	5	Class-3	4500-7000 5200-20200 Grade Pay-2800	--do--	
16.	Law Assistant	1	Class-3	5500-9000 9300-34800 Grade Pay-4300	--do--	
17.	Stenographer	5	Class-3	4500-7000 5200-20200 Grade Pay-2800	--do--	
18.	Driver	9	Class-3	3050-4590 5200-20200 Grade Pay-1900	--do--	
19.	Floor Supervisor	1	Class-4	3050-4590 5200-20200 Grade Pay-1900	--do--	
20.	Daftari	3	Class-4	2610-3540 4750-7440 Grade Pay-1400	--do--	
21.	Peon	64	Class-4	2550-3200 4750-7440 Grade Pay-1300	--do--	
22.	Chowkidar	4	Class-4	2550-3200 4750-7440 Grade Pay-1300	--do--	
23.	Sub Engineer (Civil)	1	Class-3	5500-9000 9300-34800 Grade Pay-4300	--do--	
24.	Electrician	1	Class-3	3050-4590 5200-20200 Grade Pay-1900	--do--	
25.	Carpenter	1	Class-3	3050-4590 5200-20200 Grade Pay-1900	--do--	
26.	Pump man	1	Class-3	2550-3200 4750-7440 Grade Pay-1300	--do--	

SCHEDULE-II
(See Rule-6)

S. No.	Name of the post included in the service	No. of posts	Classi-fication	Percentage of number of posts to be filled in			Remark
				By direct Recruit-ment	By Promotion	By Transfer of persons from other service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Librarian	1	Class-3		100%		
2.	Section Officer	20	Class-2		100%		
3.	Head Accountant	3	Class-2		100%		
4.	Law Officer	1	Class-2	100%	100%		
5.	Programmer	1	Class-2	100%			
6.	I.O.I.	2	Class-2		100%		
7.	Assistant I.O.	3	Class-2		100%		
8.	Data Entry Operator	5	Class-3	100%			
9.	Assistant Grade-1	30	Class-3		100%		
10.	Assistant Grade-2	50	Class-3		100%		
11.	Assistant Grade-3	90	Class-3	75%	25%		
12.	Senior Auditor	4	Class-3		100%		
13.	Junior Auditor	5			100%		
14.	Law Assistant	1	Class-3	100%			
15.	Stenographer	5	Class-3	50%	50%		
16.	Driver	9	Class-3	100%			
17.	Floor Supervisor	1	Class-4		100%		
18.	Daftari	3	Class-4		100%		
19.	Peon	64	Class-4	100%			
20.	Chowkidar	4	Class-4	100%			
21.	Sub Engineer (Civil)	1	Class-3	100%			
22.	Electrician	1	Class-3	100%			
23.	Carpenter	1	Class-3	100%			
24.	Pump man	1	Class-3	100%			

SCHEDULE-III

S. No.	Name of the Post	Class	Age Limit Min./Max.	Educational Qualifications	Name of members of selection committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Programmer	Class-2	18-35	1. Post Graduate Degree in Science/ Physics/Computer Science/Operation Research/Statistics or Mathematics (with Statistics) or equivalent Examination from recognized University or Degree in B. E. Electronics. 2. At least three years experience of programmer writing in COBAL and working experience on any third generation. 3. Diploma in COBAL FORTRAN-IW Programming Language from recognized Institute or Government Institute. 4. Five years experience of Examination and resulting works in any Board or University.	Selection Committee constituted by the Secretary.
2.	Law Officer	Class-2	18-35	1. L.L.B. Examination passed with 55%. 2. 7 years experience in legal profession as an Advocate. 3. Proficiency in English for Legal Profession.	--do--
3.	Data Entry Operator	Class-3	18-35	1. Graduate or equivalent examination passed. 2. Knowledge of English reading and writing. 3. Knowledge of English typing and working capacity of typing works. 4. 1. One year diploma in computer course from recognized institute. 2. Two years working experience on computer of data entry operator programming and 10000 depression speed/per hour.	--do--
4.	Librarian	Class-3	18-35	1. Degree course certificate in library science. 2. 5 years working experience.	--do--
5.	Assistant Grade-3	Class-3	18-35	1. Higher Secondary Examination passed from recognized Board/university or 10+2 examination passed or 1st year examination passed in graduate level or according to prescribed qualification as per recruitment regulations.	--do--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. Passed Hindi Typing Examination conducted by recognized Board/ Institution. 25 words per minute speed. 3. One year Diploma in computer course in data entry operator/Programming and 10,000 depression speed of data entry @ per hour.	
6.	Law Assistant	Class-3	18-35	1. Graduate Degree in L.L.B. 2. 5 years experience of Legal Works..	Selection Committee constituted by the Secretary.
7.	Stenographer	Class-3	18-35	1. Higher Secondary Examination pass from recognized Board/University or 10+2 examination passed or 1st year examination passed in graduate level or according to prescribed qualification as per recruitment regulations. 2. Passed Hindi Typing (25 words per minute speed) with Hindi/English shorthand @ 100 words per minute speed from recognized Board. 3. One year Diploma in computer course in data entry operator/programming and 10,000 depression speed of data entry @ per hour. 4. 5 years working experience.	--do--
8.	Driver	Class-4	18-35	1. 8th Class Passed. 2. Light /Heavy driving license. 3. 5 years experience.	--do--
9.	Peon	Class-4	18-35	1. 8th Class Passed.	--do--
10.	Chowkidar	Class-4	18-35	1. 8th Class Passed.	--do--
11.	Sub Engineer (Civil)	Class-3	18-35	1. Degree in Civil Engineering. 2. 5 years experience in building construction works.	--do--
12.	Electrician	Class-3	18-35	1. High or secondary 10+2 or equivalent examination passed from Board. 2. I.T.I. certificate in Electrician Trade. 3. 5 years experience.	--do--
13.	Carpenter	Class-3	18-35	1. 8th Class Passed. 2. I.T.I. Certificate in Carpenter Trade. 3. 3 years experience in Carpenter Trade.	--do--
14.	Pump Man	Class-3	18-35	1. High School Certificate passed from recognized Board. 2. 5 years experience in concerning work. 3. I.T.I. certificate.	--do--

SCHEDULE-IV
(See Rule-13)

S. No.	Name of Service or post from which promotion is to be made	Name of Service or post to which promotion is to be made	Prescribed Qualification for promotion	No. of the years of service on the post shown in column No. 3	Name of members of the departmental promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Secretary/ Divisional Officer	Registrar	1. Competency and Seniority. 2. Graduate Degree.	5 years	Departmental Promotion Committee constituted by the Chairman
2.	Section Officer	Asst. Secretary/ Divisional Officer.	1. Competency and Seniority. 2. Graduate Degree.	5 years	--do--
3.	Accounts Officer	Finance Officer	1. Competency and Seniority. 2. Post Graduate in Commerce Degree. 3. Preference to S.A.S.	5 years	--do--
4.	Head Accountant	Accounts Officer	1. Competency and Seniority. 2. Graduate Degree in Commerce. 3. Accounts Training passed.	5 years	--do--
5.	Assistant Grade-1	Section Officer	1. Competency and Seniority.	5 years	Departmental Promotion Committee constituted by the Secretary
6.	Assistant Grade-2	Assistant Grade-1	1. Competency and Seniority.	5 years	--do--
7.	Assistant Grade-3	Assistant Grade-2	1. Competency and Seniority.	5 years	--do--
8.	Assistant Grade-3	Accountant	1. Seniority and Competency 2. B.Com. 3. Accounts Training Passed.	5 years	--do--
9.	Assistant Grade-3	Stenographer	1. Seniority and Competency	5 years	--do--
10.	Senior Auditor	Head Accountant	1. Seniortiy and Competency 2. Accounts Training Passed.	5 years	--do--
11.	Junior Auditor	Senior Auditor	1. Seniority and Competency Accounts Training Passed.	5 years	--do--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Accountant	Junior Auditor	1. Seniority and Competency. 2. Accounts Training Passed.	5 years	Departmental Promotion Committee constituted by the Secretary
13.	Law Assistant	Law Officer	1. Seniority and Competency 2. Proficiency in English for Legal Profession.	5 years	--do--
14.	Input Output Assistant	I.O. Incharge	1. Seniority and Competency. 2. Diploma in recognized institute passed in COBAL/ FORTRAN in programming. 3. Post Graduation Degree in	5 years	--do--
15.	Data Entry Operator	I.O. Assistant	1. Seniority and Competency	5 years	--do--
16.	Daftari	Floor Supervisor	1. Seniority and Competency	5 years	--do--
17.	Peon/Chowkidar	Daftari	1. Seniority and Competency	5 years	--do--
18.	Other Class 4th Employee.	Assistant Grade-3	1. Seniority and Competency 2. Higher Secondary or equivalent examination passed.	5 years	--do--

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.